

नामांकन हेतु आवेदन के लिए

दिशानिर्देश

1. Admission portal पर Click करने के बाद Apply for Admission Section में New Registration पर Click करके E-mail and Mobile के सहयोग से Account बनाकर पुनः Login Page पर Click करके Login कर अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। नामांकन के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास ई-मेल, मोबाईल नं०, फोटोग्राफ, केवल बिहारवासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, कोटा (खेल, फाइन आर्ट, मिलिट्री, पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी के लिए) संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पटना विश्वविद्यालय में दो तरह के पाठ्यक्रम नियमित (चार वर्षीय) एवं स्ववित्तपोषित (Self-Finance) (तीन वर्षीय) संचालित हैं। स्ववित्तपोषित (Self-Finance) पाठ्यक्रम में किसी तरह का कोटा नहीं है।
2. नियमित एवं स्ववित्तपोषित (Self-Finance) पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग आवेदन करना है। प्रत्येक आवेदन के लिए 1100/-रुपये शुल्क देय होगा। नियमित पाठ्यक्रम में प्रत्येक कोटा के लिए अतिरिक्त 50/-रुपये शुल्क देय होगा। आप चाहें तो दोनों पाठ्यक्रम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपना प्रोफाइल बनाना है उसके बाद विषय चयन/आवेदन प्रपत्र भरना है।
3. पटना विश्वविद्यालय के पॉर्टल पर आपको विषय चयन हेतु अर्हता (एलिजीबिलिटी) पढ़कर आवेदन करना है।
4. आप अपने पसन्द के महाविद्यालय/विषय अपने प्राथमिकता के आधार पर ही अपने विकल्पों का चयन करें। छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा पाँच विकल्प का चयन कर सकते हैं परन्तु पहला विकल्प चयन के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा उसके बाद अन्य अधिकतम चार विकल्प का चयन कर सकते हैं।
5. पटना विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम में चयन इंटरमीडिएट के अंक के आधार पर होगा (BFA एवं BBA-LL.B. को छोड़कर) जबकि स्ववित्तपोषित (Self-Finance) पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा (interview) में प्राप्त अंक के आधार पर चयन होगा। नामांकन बिहार सरकार के नामांकन आरक्षण नियम के अनुसार होगा। पटना विश्वविद्यालय द्वारा मेधाक्रम-सह-विकल्प चयन (Merit-cum-choice) के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन सूची (Allotment Letter) जारी की जायेगी जिसके अनुसार आपको online नामांकन शुल्क जमा करना होगा। नामांकन शुल्क जमा करने के बाद आप अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter) लेकर परामर्श केन्द्र (Counselling Centre) पर जाकर अपने सारे प्रमाण पत्रों की जाँच (verification) निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक रूप से करा लें अन्यथा आप नामांकन से वंचित रह जाएंगे।
6. Counselling केन्द्र पर प्रोविजनल नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपनी उच्चतम प्राथमिकता के विषय में नामांकन नहीं मिला है तो आप Sliding/Subject Preference विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा करने से अगली आवंटन सूची (Allotment Letter) जारी होते समय आपको अपनी उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प में स्थान खाली रहने पर आपका नामांकन स्वतः Slide-up हो जायेगा और पहले के विषय में हुआ नामांकन स्वतः रद्द हो जायेगा।
7. Allotment Letter आपके नामांकन को सुनिश्चित नहीं करता है। इसलिए Counselling कराकर प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेना आवश्यक होगा।
8. प्रोफाइल एक बार लॉक हो जाने के बाद पुनः सुधार संभव नहीं है इसलिए प्रोफाइल सही तरीके से भरें।
9. Login करने के बाद find your programme में eligibility criteria check कर लें तब विषय का चयन करें और विकल्प भरें।
10. छात्र अपने Account में Login करने के पश्चात My Application पर Click करेंगे, उसके बाद Ctrl+P बटन को दबाएँगे जिससे कि आपके द्वारा वर्णित सारे Preference एक Page पर Print हो जाएगा।